FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

केदार सिंह बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

मुकदमा दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती मु0नं0 501 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1043

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत एड0 उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली 19.09.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

19/09

पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 06/10/25 को पेश हो।

06/10/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादी के दादा स्व0 लादूसिंह पुत्र कानसिंह के नाम रही हैं। उक्त लादूसिंह का देहान्त होने पर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने के साथ वादी के पिता रेवतसिंह का भी देहान्त हो जाने के कारण एक ही नामान्तरकरण सं0 697 पटवार हल्का द्वारा भरा गया जिसमें लादूसिंह के वारिसान का नाम दर्ज करने के साथ–साथ वादी के पिता रेवतसिंह के वारिसान का नाम भी दर्ज करते हुए हिस्से अनुसार वारिसान का नाम भी दर्ज करते हुए नामान्तरकरण भरा गया। जिसे नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर बनी जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम रेवतसिंह के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:34
Reason: SelfAttested

खेतसिंह दर्ज कर दिया गया जबकि नामान्तरकरण के कालम सं0 9 में वादी के पिता का नाम सही रूप से रेवतसिंह दर्ज हैं एवं नामान्तरकरण सं0 697 पर बनाये गये सजरा खानदान में वादी के पिता का नाम रेवतसिंह ही दर्ज हैं एवं अन्य दस्तावेजता यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में भी वादी के पिता का नाम रेवतसिंह ही दर्ज हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं किः—

आदेश

तन ग्राम मावण्डा कलां पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1000, 649, 651, 732, 984, 985 कुल किता 06 कुल रकबा 4.17 में वादी, वादी की माता एवं भाई के नाम के थ दर्ज पति/पिता का गलत दर्ज नाम ''खेतसिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''रेवतसिंह'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. केदारसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत निवासी मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. हाल निवासी 122 ए छोटा अखाडा कन्या पाठशाला के पीछे, पावर हाऊस रोड़, ब्रह्मपुरी जयपुर।

—वादी

बनाम

1. भूमिधारी जारिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 201 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **तन ग्राम मावण्डा कलां पटवार हल्का मावण्डा कलां तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1000, 649, 651, 732, 984, 985 कुल किता 06 कुल रकबा 4.17 में वादी, वादी की माता एवं भाई के नाम के थ दर्ज पति/पिता का गलत दर्ज नाम ''खेतसिंह'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''रेवतसिंह'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 06 माह 10 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:35:34 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।